एस.सी.के.

ए.एल. बहरी, जे. के समक्ष

आर. पी. जग्गा और अन्य - याचिकाकर्ता,

बनाम

कलकत्ता इलेक्ट्रिक कंपनी और अन्य - प्रतिवादी।

1990 का नागरिक संशोधन क्रमांक 2068।

27 जुलाई 1990.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश . 41, नियम. 11—प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत—सुनवाई का अवसर प्रदान करना—आदेश 41 के नियम 11 के तहत नोटिस जारी करना—हड़ताल पर बार के सदस्यों के रूप में वकील का उपस्थित न होना—सुनवाई का बार-बार स्थगन—क्या ऐसा स्थगन उचित है।

यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता केवल यह है कि मुक़दमा तय करते समय विपरीत पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाए - यह पूरी तरह से विपरीत पक्ष या वकील पर छोड़ दिया गया है, जो उसका प्रतिनिधित्व करता है और मामले की पैरवी करता है। . यदि वकील उपस्थित होता है और मामले पर बहस करता है तो वास्तविक सुनवाई दी जा सकती है, अन्यथा सुनवाई की सूचना को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 11 के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा विविध मामले पर निर्णय को स्थगित करना बिल्कुल भी उचित नहीं था जब याचिकाकर्ताओं में से एक, ऐसे मामले में अदालत में उपस्थित हो रहा था और निर्णय की मांग कर रहा था। यह न्यायालय का कर्तव्य था कि वह मामले के गुण-दोष पर गौर करे और निर्णय दे और केवल प्रॉक्सी वकील के अभ्यावेदन पर सुनवाई स्थगित नहीं करनी चाहिए थी।

(पैरा ३)

याचिका यू/एस. 115 सी.पीसी. श्री बी.आर. गुप्ता, अपर के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए। जिला जज। चंडीगढ़ में दिनांक 19 जुलाई, 1990 को मामले को 7 नवंबर, 1990 को निर्धारित तिथि तक स्थगित कर दिया गया क्योंकि बार हड़ताल पर है।

दावा : बेदखली और हर्जाना का मुकदमा।

पुनरीक्षण में दावा : निचली अदालत के आदेश को उलटने के लिए,

आर. पी. जग्गा, वकील, याचिकाकर्ता के लिए (व्यक्तिगत रूप से)

निर्णय

(1) इस पुनरीक्षण याचिका का निपटारा दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना किया जा सकता है, क्योंकि मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई निर्देश नहीं दिया जाना है।

(2) याचिकाकर्ताओं में से एक श्री आर. पी. जग्गा एक वकील हैं। वह और अन्य याचिकाकर्ता जमींदार हैं। उन्होंने प्रतिवादियों कलकत्ता इलेक्ट्रिक कंपनी और अन्य को बेदखल करने के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर किया। 24 जनवरी, 1990 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया और उपयोग और व्यवसाय के लिए प्रति माह रूपये 1,500 रुपये का हर्जाना भी तय किया गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से व्यथित प्रतिवादियों ने एक अपील दायर की, जो निपटान के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष थी। अपील पर विचार किए जाने के बाद, 3 फरवरी, 1990 को एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। अपील स्वीकार कर ली गई। अपील की सूचना मिस, आवेदन पर जारी करने का आदेश दिया गया था और अपीलकर्ताओं को 800 प्रति माह रुपये की दर से बकाया किराया का भुगतान / सात दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया था और यदि वे भविष्य में हर महीने की 7 तारीख तक उक्त राशि का भुगतान या जमा करना जारी रखते हैं, तो अपील किए गए निर्णय और डिक्री पर रोक रहेगी। सुनवाई की अगली तारीख यानी 14 मार्च, 1990 को श्री आर.पी. जग्गा उपस्थित हुए और उन्होंने आवेदन पेश किय, उनमें से एक सही अदालत शुल्क का भुगतान न करने के कारण अपील को खारिज करने के लिए है और दूसरा अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए है और तीसरा अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जवाब दाखिल करने के लिए मामले को 2 अप्रैल, 1990 तक के लिए स्थगित कर दिया। उस दिन दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व हुआ, जवाब दाखिल किये गये. हालाँकि, दलीलें नहीं सुनी गईं और मामले को 6 अप्रैल, 1990 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस दिन, वकीलों ने अदालतों में काम नहीं किया। प्रॉक्सी वकील उपस्थित हुए और मामले को 8 मई, 1990 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस दिन, पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे और अगली तारीख यानी 15 मई, 1990 को बार फिर से हड़ताल पर था, हालांकि प्रॉक्सी वकील उपस्थित हुए और मामले को स्थगित कर दिया गया 16 जून, 1990 तक। उस दिन फिर से बार हड़ताल पर था और अदालत ने बहस के लिए मामले को 7 नवंबर, 1990 तक के लिए स्थगित कर दिया। बीच में गर्मी की छुट्टियां आ जाने के कारण लंबी तारीख दी गई। वर्तमान याचिकाकर्ता श्री आर. पी. जग्गा द्वारा 11 जून, 1990 को सुनवाई को पहले करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था ताकि मामले पर सुनवाई की जा सके। उस प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को 19 जुलाई 1990 का नोटिस दिया गया। उस तिथि पर श्री आर.पी. जग्गा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, तथापि, विपरीत पक्ष की ओर से श्री मित्तल प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। चूंकि बार फिर से हड़ताल पर था, इसलिए मामले को फिर से पहले से तय तारीख यानी 7 नवंबर, 1990 के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री आर.पी.

जग्गा को यह पीड़ा महसूस हुई कि अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम निर्देशों से संबंधित उसका मामला, बार के हड़ताल पर जाने के कारण निपटाया नहीं जा रहा था, उसने निवारण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(3)यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह उन कारणों के बारे में कोई टिप्पणी करे जिनके लिए बार विभिन्न तिथियों पर हड़ताल पर गया था, जैसा कि आदेशों में उल्लिखित है। औचित्य या अन्यथा के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती और न ही पुनरीक्षण याचिका में इसका आरोप लगाया गया है। जो भी हो, इस पुनरीक्षण याचिका में विचारणीय प्रश्न केवल आवेदन का निस्तारण न करने के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आचरण के संबंध में है। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता श्री आर.पी. जग्गा अदालत में उपस्थित हो रहे थे और उसी के निपटान के लिए आग्रह कर रहे थे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता केवल यह है कि मुक़दमा तय करते समय विपरीत पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाए। यह पूरी तरह से विपरीत पक्ष या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पर छोड़ दिया गया है कि वह उपस्थित हो और मामले की पैरवी करे। यदि वकील उपस्थित होता है और मामले पर बहस करता है तो वास्तविक सुनवाई दी जा सकती है, अन्यथा सुनवाई की सूचना को दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 11 के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा विविध मामले पर निर्णय को स्थगित करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। मायने रखता है. श्री आर. पी. जग्गा, जो याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, न्यायालय में उपस्थित होकर निर्णय की मांग कर रहे थे। यह न्यायालय का कर्तव्य था कि वह मामले के गुण-दोष पर गौर करे और निर्णय दे और केवल प्रॉक्सी वकील के अभ्यावेदन पर सुनवाई स्थगित नहीं करनी चाहिए थी। जब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि सुनवाई पहले कर दी जानी चाहिए, तो विपक्षी को नोटिस देकर मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए था, फिर भी मामले को नवंबर माह के लिए स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं था।

(4) ऊपर बताए गए कारणों से, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ को विविध मामले की सुनवाई पहले से करने का निर्देश दिया जाता है कि निश्चित रूप से विपरीत पक्ष या स्वयं पक्ष के वकील को नोटिस देने के बाद स्थगन से संबंधित आवेदनों को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर निस्तारित करें, । याचिकाकर्ता को 3 अगस्त, 1990 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार, यह सिविल पुनरीक्षण का ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटाया किया जाता है।

एस.सी.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा